



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,  
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग-3), शासन सचिवालय, जयपुर  
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre\_rdd@yahoo.com)



क्रमांक: एफ 40(142)ग्रावि/नरेगा/चारागाह विकास/2023/RK-03875

जयपुर, दिनांक : 15 MAY 2023

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस  
एवं जिला कलक्टर, समस्त।


**विषय :-** महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रत्येक पंचायत समिति में 15 हैक्टेयर क्षेत्र में चारागाह विकास के कार्य करवाये जाने बाबत।

**प्रसंग :-** माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि द्वारा बजट 2023-24 की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान की गई घोषणा।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि द्वारा बजट 2023-24 की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान घोषणा की गई है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में लगभग 3000 हैक्टेयर भूमि में चारागाह विकास के कार्य करवाये जायेंगे। इन कार्यों के क्रियान्वयन से पशुओं को चारा उपलब्ध होने के साथ-साथ जलवायु एवं पर्यावरण में सुधार होगा तथा पंचायतों की निजी आय में वृद्धि होगी। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत चारागाह विकास के कार्य कराया जाना एक अनुमत गतिविधि है। इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं -


1. जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित चारागाह विकास के कार्यों की शीघ्र नियमानुसार स्वीकृतियाँ जारी की जावे। स्वीकृति की कार्यवाही दिनांक 30.05.2023 से पूर्व कर ली जावे, ताकि वर्षाकाल प्रारम्भ होने से पूर्व ही अग्रिम मृदा कार्य इत्यादि कराये जा सकें।
2. चारागाह भूमि के चयन हेतु निम्नानुसार प्राथमिकता दी जावे-
  - 2.1. ऐसे स्थल का चयन किया जावे, जो कि चारागाह भूमि के रूप में विकसित करने हेतु उपयुक्त हो।
  - 2.2. चयन की जाने वाली चारागाह भूमि अतिक्रमण से मुक्त हो।
  - 2.3. पूर्व से विकसित चारागाह के पास यदि चारागाह भूमि उपलब्ध हो तो उसका चयन किया जावे।
  - 2.4. उपरोक्तानुसार स्थलों का चयन कर, कार्य का नाम मय Geo reference के संलग्न प्रारूप में भिजवाया जावे।
3. विकसित किये जाने वाले चारागाह स्थल की सुरक्षा एवं रखरखाव के लिए भी आवश्यक प्रावधान तकमीने में लिए जावे।
4. पटवारी की सहायता से चयनित चारागाह भूमि का चिन्हीकरण कर स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप सीमा पर बाड़बन्दी (डिच-कम-बण्ड फैंसिंग/लूज स्टोन फैंसिंग/थौर फैंसिंग) का कार्य करवाया जावे।
5. चारागाह भूमि की उत्पादकता की जांच हेतु मिट्टी की जांच कराई जाकर संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक से भूमि तथा पौधों की प्रजाति के संबंध में सुझाव लिए जावे तथा पूर्व में ही बड़े पौधे (कम से कम 3 फीट उंचाई)

6. अग्रिम मृदा कार्य :- चारागाह क्षेत्र में करवाये जाने वाले मुख्य अग्रिम मृदा कार्य निम्नानुसार है-
  - 6.1 फ़ैन्सिंग कार्य (डिच-कम-बण्ड फ़ैन्सिंग/लूज स्टोन फ़ैन्सिंग/थोर फ़ैन्सिंग)।
  - 6.2 वृक्षारोपण हेतु खड्डे खुदाई का कार्य।
  - 6.3 भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु भूमि एवं जल संरक्षण हेतु कन्टूर ट्रेन्च, वी-डिच एवं जल संरक्षण हेतु चैकडैम्स आदि का निर्माण किया जावे।
7. चारागाह क्षेत्र में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण करवाया जावे। कार्यस्थल पर पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जावे। खाद, दवाई आदि की व्यवसी भी कर ली जावे। योजनान्तर्गत बड़े पौधों (कम से कम 3 फीट) का रोपण किया जावे ताकि पौधो की जीवितता प्रतिशत अधिक हो सके। इसके लिए बड़े पौधों की नियमानुसार व्यवस्था की जाकर पौधारोपण किया जावे।
8. स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार चारागाह भूमि में घास बीज की बुआई भी की जावे। इन क्षेत्रों में पौधो की प्रजाति के अनुसार रख-रखाव भी करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
9. साथ ही चारागाह विकास हेतु समय-समय पर विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
10. यह निर्देश केवल मार्गदर्शन स्वरूप है, जिले अपने स्तर पर नवाचार कर इन भूमियों के सुव्यवस्थित विकास हेतु कार्य कर सकें तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न योजनाओं से कंवेर्जेन्स कर सकें।
11. चारागाह विकास कार्यों के जिलेवार लक्ष्य परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

  
 (शिवांगी स्वर्णकार)  
 आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
7. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद, समस्त।

  
 अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस

## चारागाह विकास के जिलेवार लक्ष्य -

क्र.सं.	जिला	पंचायत समितियाँ	लक्ष्य (हेक्टेयर)
1	अजमेर	11	165
2	अलवर	16	240
3	बांसवाडा	11	165
4	बारां	8	120
5	बाडमेर	21	315
6	भरतपुर	12	180
7	भीलवाडा	14	210
8	बीकानेर	9	135
9	बूंदी	5	75
10	चित्तौडगढ	11	165
11	चूरु	7	105
12	दौसा	11	165
13	धौलपुर	6	90
14	डूंगरपुर	10	150
15	हनुमानगढ	7	105
16	जयपुर	22	330
17	जैसलमेर	7	105
18	जालौर	10	150
19	झालावाड	8	120
20	झुन्झूनू	11	165
21	जोधपुर	21	315
22	करौली	8	120
23	कोटा	5	75
24	नागौर	15	225
25	पाली	10	150
26	प्रतापगढ	8	120
27	राजसमंद	8	120
28	सवाईमाधोपुर	7	105
29	सीकर	12	180
30	सिरोही	5	75
31	श्री गंगानगर	9	135
32	टोंक	7	105
33	उदयपुर	20	300
	योग	352	5280